CRIMINAL PROCEDURE CODE 1973

Level — Moderate

1. As per Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2008 (5 of 2009), with effect from 31-12-2009, which inserted clause (wa) in section 2 Cr.P.C. defining "victim" as a person who has suffered any loss or injury caused by reason of the act or omission for which the accused person has been charged includes-

(a) victim's guardian
(b) victim's guardian or legal heir
(c) victim's neighbour
(d) victim's close friend

1. दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 का 5) के अनुसार, 31-12-2009 से प्रभावी, जिसने सीआरपीसी में धारा 2 में खंड (wa) डाला। "पीड़ित" को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करना, जिसे उस कार्य या चूक के कारण कोई नुकसान या चोट लगी है, जिसके लिए आरोपी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, इसमें शामिल हैं

(ए) पीड़ित के अभिभावक
(बी) पीड़ित के अभिभावक या कानूनी उत्तराधिकारी
(सी) पीड़ित के पड़ोसी
(डी) पीड़ित के करीबी दोस्त

2. According to section 41A(1) of Cr.P.C. as inserted by the Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2008 (5 of 2009) and amended in August 2010 the Police Officer shall issue a notice directing the alleged accused though he has committed a cognizable offence, to appear before him or at such other place as specified in notice in all the cases where the arrest of a person is not required under the

(a) provisions of sub-section (1)(a) of section 41
(b) provisions of sub-section (1)(b) of section 41
(c) provisions of sub-section (1)(c) of section 41
(d) provisions of sub-section (1) of section 41

2. सीआरपीसी की धारा 41A(1) के अनुसार जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 का 5) द्वारा डाला गया है और अगस्त 2010 में संशोधित किया गया पुलिस अधिकारी कथित आरोपी को निर्देश जारी करेगा कि उसने संज्ञेय अपराध किया है, उसके सामने या ऐसे अन्य स्थान पर पेश होने के लिए जो सभी मामलों में नोटिस में निर्दिष्ट है जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है-

www.linkinglaws.com

(ए) धारा 41 की उप-धारा (1)(ए) के प्रावधान
(बी) धारा 41 की उप-धारा (1)(बी) के प्रावधान
(सी) धारा 41 की उप-धारा (1) (सी) के प्रावधान
(डी) धारा 41 की उप-धारा (1) के प्रावधान

3. Within the meaning of provisions under section 41C(1) of the Criminal Procedure Code which was inserted by the Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2008 (5 of 2009), every State Government shall establish a Police Control Room (PCR) in-

(a) every district
(b) State level only
(c) both district and at State level
(d) State Secretariat only.

3. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41C(1) के तहत प्रावधानों के अर्थ के भीतर, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 का 5) द्वारा सम्मिलित किया गया था, प्रत्येक राज्य सरकार एक पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) स्थापित करेगी-

(ए) हर जिले
(बी) केवल राज्य स्तर
(सी) दोनों जिला और राज्य स्तर पर
(डी) केवल राज्य सचिवालय।

4. Criminal Procedure Code which comes under Concurrent List of Constitution of India is

(a) unduly rigid and does not make room for any special law & procedure
(b) not unduly rigid and makes room for any special law & procedure and generally gives precedence to such special law and procedure
(c) not unduly rigid and makes room for any special law procedure but generally gives precedence to the law & procedure given under the Code
(d) either (a) or (c)

4. दंड प्रक्रिया संहिता जो भारत के संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है-

(ए) अनुचित रूप से कठोर और किसी विशेष कानून और प्रक्रिया के लिए जगह नहीं बनाता है
(बी) अनावश्यक रूप से कठोर नहीं है और किसी विशेष कानून और प्रक्रिया के लिए जगह बनाता है और आम तौर पर ऐसे विशेष कानून और प्रक्रिया की प्राथमिकता देता है-
(सी) अनावश्यक रूप से कठोर नहीं है और किसी विशेष कानून प्रक्रिया के लिए जगह बनाता है लेकिन आम तौर पर संहिता के तहत दी गई कानून और प्रक्रिया को प्राथमिकता देता है
(डी) या तो (ए) या (सी)

www.linkinglaws.com

5. What is true to Code of Criminal Procedure-
(a) it is mainly, though not purely, an adjective or procedural law
(b) there are also certain provisions which are partly in the nature of substantive law
(c) both (a) & (b)
(d) neither (a) nor (b)

5. दंड प्रक्रिया संहिता के लिए क्या सही है-
(ए) यह मुख्य रूप से, हालांकि विशुद्ध रूप से नहीं, एक विशेषण या प्रक्रियात्मक कानून है
(बी) कुछ प्रावधान भी हैं जो आंशिक रूप से मूल कानून की प्रकृति में हैं
(सी) दोनों (ए) और (बी)
(डी) न तो (ए) और न ही (बी)

6. Which classification of offence comes under Criminal Procedure Coder -
(a) cognizable & non-cognizable
(b) bailable & non-bailable
(c) summons cases & warrant cases
(d) all the above

6. अपराध का कौन सा वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आता है?
(ए) संज्ञेय और असंज्ञेय
(बी) जमानती और गैर-जमानती
(सी) समन मामले और वारंट मामले
(डी) उपरोक्त सभी

7. Classification of offences given in the Code of Criminal Procedure under
(a) section 320
(b) the Ist Schedule
(c) the IInd Schedule
(d) section 482

7. दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिए गए अपराधों का वर्गीकरण-
(ए) धारा 320
(बी) पहली अनुसूची
(सी) दूसरी अनुसूची
(डी) धारा 482

8. Cognizable offence under Cr. P.C. has been defined-
(a) under section 2(a) of Cr. P.C.
(b) under section 2(c) of Cr. P.C.
(c) under section 2(i) of Cr. P.C.
(d) under section 2(l) of Cr. P.C.

8. Cr. P.C. के तहत संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है-
(ए) सीआरपीसी की धारा 2 (a) के तहत।
(बी) सीआरपीसी की धारा 2 (c) के तहत।
(सी) सीआरपीसी की धारा 2 (i) के तहत।
(डी) सीआरपीसी की धारा 2 (l) के तहत।

www.linkinglaws.com

9. In a cognizable case under Cr. P.C., the police has the-
(a) authority to arrest a person without warrant
(b) authority to investigate the offence without permission of the Magistrate
(c) both (a) &(b)
(d) either (a) or (b)

9. दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक संज्ञेय मामले में पुलिस के पास-
(ए) वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार
(बी) मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना अपराध की जांच करने का अधिकार
(सी) दोनों (ए) और (बी)
(डी) या तो (ए) या (बी)

10. In a cognizable case under Cr. P.C., the police will have all the powers to-
(a) investigate except the power to arrest without warrant
(b) investigate including the power to arrest without warrant
(c) investigate and arrest without warrant only after seeking permission from the Magistrate
(d) investigate and arrest without warrant only after informing the Magistrate having jurisdiction to inquire into or try the offence

10. सीआरपीसी के तहत एक संज्ञेय मामले में, पुलिस के पास सभी अधिकार होंगे-
(ए) वारंट के बिना गिरफ्तारी की शक्ति को छोड़कर जांच करें
(बी) वारंट के बिना गिरफ्तारी की शक्ति सहित जांच
(सी) मजिस्ट्रेट से अनुमति लेने के बाद ही वारंट के बिना जांच और गिरफ्तारी करें
(डी) मजिस्ट्रेट को सूचित करने के बाद ही वारंट के बिना जांच और गिरफ्तारी करें अपराध की जांच या प्रयास करने का अधिकार क्षेत्र

11. A Magistrate has the power to direct the police to investigate into an offence in Cr. P.C. under -
(a) section 156(1) of Cr PC
(b) section 156(2) of Cr PC
(c) section 156(3) of Cr PC
(d) all of the above

11. एक मजिस्ट्रेट के पास किसी अपराध की जांच के लिए पुलिस को निर्देश देने की शक्ति है -
(ए) सीआरपीसी की धारा 156(1)
(बी) सीआरपीसी की धारा 156(2)
(सी) सीआरपीसी की धारा 156(3)
(D) उपरोक्त सभी

12. A Magistrate has the power under Cr.P.C. to direct the police to investigate into-
(a) a non-cognizable offence
(b) a cognizable offence

www.linkinglaws.com

(c) only a non-cognizable offence, as in a cognizable offence the police is under a duty to investigate
(d) both (a) and (b)

12. सीआरपीसी के तहत एक मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को जांच का निर्देश देने के लिए शक्ति है-
(ए) एक असंज्ञेय अपराध
(बी) एक संज्ञेय अपराध
(सी) केवल एक असंज्ञेय अपराध, एक संज्ञेय अपराध के रूप में पुलिस जांच करने के लिए एक कर्तव्य के अधीन है
(डी) दोनों (ए) और (बी)

13. In a non-cognizable case under Cr. P.C., the police has the authority-
(a) to investigate into the offence without order given by the Magistrate but cannot arrest the accused without warrant
(b) to investigate and even arrest the accused without warrant
(c) neither to investigate without order of the Magistrate nor can arrest the accused without warrant
(d) cannot investigate without orders of the Magistrate but can arrest without warrant

13. सीआरपीसी के तहत एक असंज्ञेय मामले में, पुलिस के पास अधिकार है-
(ए) मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश के बिना अपराध की जांच करने के लिए लेकिन वारंट के बिना आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकता
(बी) बिना वारंट के आरोपी की जांच करना और गिरफ्तार करना भी
(सी) न तो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच करने के लिए और न ही वारंट के बिना आरोपी को गिरफ्तार कर सकते हैं
(डी) मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच नहीं कर सकता लेकिन वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है

14. Non-cognizable offence has been defined-
(a) under section 2(a)
(b) under section 2(b)
(c) under section 2(c)
(d) under section 2(l)

14. असंज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है
(ए) धारा 2 (a) के तहत
(बी) धारा 2 (b) के तहत
(सी) धारा 2 (c) के तहत
(डी) धारा 2 (l) के तहत

15. A case which includes cognizable offences and non-cognizable offences is-
(a) a cognizable case but requires sanction of the Magistrate for investigation

www.linkinglaws.com

into the non-cognizable part under section 155(2) of CrPC

(b) a cognizable case and as such the investigation of the case does not require any sanction of the Magistrate under section 155(2) of CrPC

(c) a non-cognizable case and as such the investigation of the case requires sanction of the Magistrate under section 155(2) of Cr PC

(d) a non-cognizable case but does not require sanction of the Magistrate under section 155(2) of Cr PC

15. एक मामला जिसमें संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध शामिल हैं-

(ए) एक संज्ञेय मामला लेकिन सीआरपीसी की धारा 155 (2) के तहत असंज्ञेय भाग की जांच के लिए मजिस्ट्रेट की मंजूरी की आवश्यकता है

(बी) एक संज्ञेय मामला और इस तरह मामले की जांच के लिए सीआरपीसी की धारा 155 (2) के तहत मजिस्ट्रेट की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है

(सी) एक असंज्ञेय मामला और इस तरह मामले की जांच के लिए सीआरपीसी की धारा 155 (2) के तहत मजिस्ट्रेट की मंजूरी की आवश्यकता है

(डी) एक असंज्ञेय मामला लेकिन सीआरपीसी की धारा 155 (2) के तहत मजिस्ट्रेट की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है

16. In a non-cognizable case, the accused-

(a) can object to the grant of permission under section 155(2) of Cr PC as a matter of right

(b) can object to the grant of permission under section 155(2) of Cr PC with the leave of the Magistrate

(c) can object to the grant of permission under section 155(2) of Cr PC with the leave of the High Court

(d) has no right to participate in the proceedings and cannot object to the grant of permission under section 155(2) of Cr PC

16. असंज्ञेय मामले में आरोपी-

(ए) अधिकार के मामले में सीआरपीसी की धारा 155(2) के तहत अनुमति देने पर आपत्ति कर सकते हैं

(बी) सीआरपीसी की धारा 155(2) के तहत मजिस्ट्रेट की अनुमति से अनुमति दिए जाने पर आपत्ति कर सकता है

(सी) उच्च न्यायालय की अनुमति के साथ सीआरपीसी की धारा 155 (2) के तहत अनुमति देने पर आपत्ति कर सकते हैं

(डी) कार्यवाही में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है और सीआरपीसी की धारा 155 (2) के तहत अनुमति देने पर आपत्ति नहीं कर सकता

www.linkinglaws.com

17. **Under the Scheme of Criminal Procedure, non-cognizable offences are-**
(a) public wrongs
(b) private wrongs
(c) both public and private wrongs
(d) none of the above

17. **आपराधिक प्रक्रिया योजना के तहत असंज्ञेय अपराध हैं-**
(ए) सार्वजनिक गलतियाँ
(बी) निजी गलतियाँ
(सी) सार्वजनिक और निजी दोनों गलतियां
(डी) उपरोक्त में से कोई नहीं

18. **A Magistrate has the power to direct the police to investigate in respect of an offence-**
(a) under the Indian Penal Code
(b) under any local or special law
(c) both (a) and (b)
(d) only (a) and not (b)

18. **एक मजिस्ट्रेट के पास किसी अपराध के संबंध में पुलिस को जांच करने का निर्देश देने की शक्ति है**
(ए) भारतीय दंड संहिता के तहत
(बी) किसी स्थानीय या विशेष कानून के तहत
(सी) दोनों (ए) और (बी)
(डी) केवल (ए) और नहीं (बी)

19. **Leave to investigate into non-cognizable offence can be granted by a-**
(a) Magistrate in any part of India
(b) Magistrate in any part of the State
(c) Magistrate having jurisdiction to try the case
(d) Either (a) or (b) or (c)

19. **असंज्ञेय अपराध की जांच के लिए अनुमति दी जा सकती है-**
(ए) भारत के किसी भी हिस्से में मजिस्ट्रेट
(बी) राज्य के किसी भी हिस्से में मजिस्ट्रेट
(सी) मामले का विचारण करने के लिए अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट
(डी) या तो(ए) या (बी) या (c)

20. **In a bailable offence, the bail is granted as a matter of right-**
(a) by the police officer
(b) by the court
(c) both by the police officer & the court
(d) either (a) or (b)

20. **जमानती अपराध में जमानत अधिकार के रूप में दी जाती है-**
(ए) पुलिस अधिकारी द्वारा
(बी) अदालत द्वारा
(सी) पुलिस अधिकारी और अदालत दोनों द्वारा
(डी) या तो (ए) या (बी)

www.linkinglaws

21. In a bailable offence-
(a) conditions can be imposed while granting bail by the police officer
(b) conditions can be imposed while granting bail by the court
(c) no condition can be imposed while granting bail by the police officer or by the court
(d) only mild conditions can be imposed by the court only

21. जमानती अपराध में-
(ए) पुलिस अधिकारी द्वारा जमानत देते समय शर्तें लगाई जा सकती हैं
(बी) अदालत द्वारा जमानत देते समय शर्तें लगाई जा सकती हैं
(सी) पुलिस अधिकारी या अदालत द्वारा जमानत देते समय कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती है
(डी) केवल अदालत द्वारा केवल हल्की शर्तें लगाई जा सकती हैं

22. Warrant case as defined under section 2(x) of Cr PC is a case relating to an offence punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term-
(a) exceeding three years
(b) exceeding two years
(c) exceeding one year
(d) exceeding one year but less than two years

22. वारंट मामले को सीआरपीसी की धारा 2(x) के तहत एक से संबंधित मामले के रूप में परिभाषित किया गया है मौत से दंडनीय अपराध, आजीवन कारावास या कारावास
(ए) तीन साल से अधिक
(बी) दो साल से अधिक
(सी) एक वर्ष से अधिक
(डी) एक वर्ष से अधिक लेकिन दो साल से कम

23. Classification of summons case & warrant case-
(a) is useful to determine the trial procedure to be adopted
(b) is useful to determine the investigation procedure to be adopted
(c) is useful to decide the question of issuance of process to the accused
(d) (a) & (c) are correct

23. समन मामले और वारंट मामले का वर्गीकरण-
(ए) अपनाई जाने वाली परीक्षण प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए उपयोगी है
(बी) अपनाई जाने वाली जांच प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए उपयोगी है
(सी) अभियुक्त को प्रक्रिया जारी करने के प्रश्न को तय करने के लिए उपयोगी है
(डी) (ए) और (सी) सही हैं

24. Complaint, as provided under section 2(d) of Cr PC-
(a) can be in writing only
(b) can be oral

www.linkinglaws.com

(c) either in writing or oral
(d) can be by gestures

24. शिकायत, जैसा कि सीआरपीसी की धारा 2 (d) के तहत प्रदान किया गया है-
(ए) केवल लिखित में हो सकता है
(बी) मौखिक हो सकता है
(सी) या तो लिखित या मौखिक
(डी) इशारों से हो सकता है

25. Complaint as provided under section 2(d) of Cr PC-
(a) can be to a police officer
(b) can be to a Magistrate
(c) both (a) & (b)
(d) must necessarily to be a Magistrate only

25. सीआरपीसी की धारा 2 (d) के तहत प्रदान की गई शिकायत
(ए) एक पुलिस अधिकारी के लिए हो सकता है
(बी) एक मजिस्ट्रेट के लिए हो सकता है
(सी) दोनों (ए) और (बी)
(डी) अनिवार्य रूप से केवल एक मजिस्ट्रेट होना चाहिए

www.linkinglaws.com